जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 15 संख्याः 336 प्रभात चूरू, शुक्रवार 5 अप्रेल, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'नई इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) का उपयोग चुनाव कराने की अधिकृत प्रक्रिया का उल्लंघन है'

डी.एम.के. के संगठन सचिव बी.एस. भारती ने यह तर्क देते हुए मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रेल। यह एक वास्तविक एवं गंभीर चिंता प्रतीत होती है। द्रमुक ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में नई ई.वी.एम. के मुद्दे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए नई ई.वी.एम. खरीदी हैं। बुधवार को दायर की गई एक याचिका में द्रमुक ने कहा कि थर्ड जनरेशन की एम. 3 इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन संचालन नियमों का उल्लंघन करती है।

द्रमुक के संगठन सचिव आर.एस.भारती द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि डिज़ाइन के नए मोड में वोटर वैरिफियाबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पी.ए.टी.) बैलटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच स्थित है, जिससे चुनावों में अनियमितताएं और धांधली हो सकती हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि सिंबल लोडिंग यूनिट (एस.एल.यू.) को वी.वी.पी.ए.टी. में फिक्स करना चुनाव संचालन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुसार इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की बैलटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट को एक दूसरे के सीधे सम्पर्क में होना चाहिए, लेकिन वी.वी.पी.ए.टी. प्रिंटर को दोनों के बीच में रखना 1961 के नियमों के 49 ए, 49 बी, 49 बी (4), 49 ई और 49 टी उपबन्ध था उल्लंघन है।

- बी.एस. भारती के अनुसार नई ई.वी.एम. मशीन में बैलटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में वी.वी.पी.ए.टी. यूनिट लगाई गई है।
- इस नये अरेंजमैंट में प्रिंटर अब कंट्रोल यूनिट को इनपुट सिगनल भेजेगा। अतः इनपुट सिगनल की ''शुद्धता'' पर सवाल उठते हैं, जो कंट्रोल यूनिट को प्रिंटर से प्राप्त होता है।
- इस संभावित त्रुटि के कारण इनपुट डेटा में ''करप्शन'' की संभावना बनती है, अतः न्यायालय चुनाव आयोग को निर्देशित करे कि, कंट्रोल यूनिट व बैलटिंग यूनिट का सीधा संपर्क ही रहे प्रिंटर के मार्फत संपर्क न हो।

याचिका में कहा गया है कि मध्य में स्थित प्रिंटर कंट्रोल यूनिट को डेटा सैण्ड करेगा और इस तरह से वोटों की गणना प्रिंटिंग यूनिट पर निर्भर होगी जिससे बैलरिंग यूनिट से प्रिंटर को प्राप्त इनपुट सिग्नल को व्यवस्थित किए जाने की कोई गारंटी नहीं होगी। अतः इस प्रकार की फिक्सिंग से डेटा में छेड़छाड़ हो सकती है जिससे चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा प्रभावित होगी।

भारती ने कहा कि चुनाव संचालन नियमों का नियम 56 डी भारत के चुनाव आयोग को आदेश देता है कि वह प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गणना के माध्यम के संबंध में गाइडलाइन्स जारी करें, लेकिन अब तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है जिसक कारण रिटर्निंग अधिकारी ऐसे माध्यमों को मनमाने ढंग से तय कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन्स को स्वीकृत करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है और इस प्रक्रिया के अभाव में ई.वी.एम. की अप्रूवल की वर्तमान प्रक्रिया मनमानी व गैर पारदर्शी है। द्रमुक ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह चुनाव आयोग को इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन्स को मंजूरी देने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करने के निर्देश दें। इसके अलावा यह निर्देश भी दिए जाएं कि वर्तमान नियमों के विपरीत जाकर प्रिंटर को बैलटिंग यूनिट व कंट्रोल यूनिट के बीच ना रखा जाए।

ज्ञातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने वी.वी.पी.ए.टी. की 100 प्रतिशत पर्चियों की गणना को लेकर दायर एक याचिका के बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं। वर्तमान में एक निर्वाचन क्षेत्र में वी.वी.पी.ए.टी. की 5 प्रतिशत पर्चियों का ही मिलान किया जा रहा है।

22 नेताओं ने चिराग पासवान की पार्टी छोड़ी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रेल। लोकसभा चुनाव से पूर्व, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चिराग पासवान को भारी झटका लगा है, उनकी लोक जनशक्ति पार्टी (एल.जे.पी.) के 22 नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। असंतुष्ट और खिन्न

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एन.डी.ए. के चुनाव अभियान का आगाज़ करेंगे, इससे एक दिन पहले हुई इस घटना से एन.डी.ए. को झटका लगा है।

अंततोगत्वा 20 माह से रूका वेतन मिल गया

जयपुर, 4 अप्रैल (का.सं.)। राज्य सरकार के अधीन आए निजी कॉलेज कर्मचारियों को वेतन नहीं देने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की ओर से प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव का वेतन रोकने के आदेश दिए गए जिसके बाद आखिरकार याचिकाकर्ताओं, 10 कर्मचारियों को उनका बीस महीने से रुका वेतन मिल गया।

अदालती आदेश के पालन में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव सुबीर कुमार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना में कांग्रेस को भारी लाभ की उम्मीद निर्मूल नहीं

भाजपा व बी.आर.एस. में चुनावी समझौता न होने से यह संभावना और प्रबल हो गयी है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। भारत में कहीं भी अगर कांग्रेस अपने दम पर मुकाबले में मजबूत नज़र आती है तो वह है तेलंगाना। इस राज्य का गठन वर्ष 2014 में हुआ था और यहां भारत राष्ट्र समिति (बी.आर.एस.) ने दस वर्ष शासन किया, लेकिन यहां गत वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इस राज्य को बी.आर.एस. से छीन लिया था। हालांकि, कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में दक्षिण भारत के एक अन्य राज्य कर्नाटक में भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वह तेलंगाना ही है जो कांग्रेस को नई एवं अतिरिक्त सीटें मिलने के लिए आश्वस्त करता है।

- उत्साहित कांग्रेस ने मु.मंत्री राव के किले, मेडक को भेदने की रणनीति अपनायी है।
- तीन दशकों से मेडक में कांग्रेस इस क्षेत्र में जीत नहीं पायी है। यह वास्तव में मु.मंत्री का क्षेत्र है तथा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मु.मंत्री के.सी.आर. की पार्टी, हालांकि, राज्य भर में अन्य क्षेत्रों में हारी थी, पर, तब भी उनकी पार्टी मेडक की सात सीटों में से छः में विजयी हुई थी।
- कांग्रेस की रणनीति है कि, अगर मेडक को उसने जीत लिया तो यह जीत तेलंगाना की राजनीति में भूचाल ला देगी तथा पूरे तेलंगाना को प्रभावित करेगी।

तेलंगाना में मेडक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है, यहां कांग्रेस पिछले तीन दशक से जीत दर्ज नहीं कर पायी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी अब मेडक से कांग्रेस की जीत पर फोकस कर रहे हैं। वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनावों मे इस क्षेत्र के मतदाताओं ने बी.आर.एस. एवं उसके प्रमुख के. चन्द्रशेखर राव के पक्ष में बढ़-चढ़कर वोट दिया था। कांग्रेस का लक्ष्य अब बी.आर.एस. के इस गढ़ में उसकी जीत का सिलसिला तोड़ना है। यदि ऐसा हो जाता है तो तेलंगाना के अन्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस आसानी से जीत दर्ज कर सकेगी।

यहां कांग्रेस की कमान रेवन्त रेड्डी जैसे चतुर राजनेता के हाथों में हैं। उन्होंने मेडक निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़ी जाति की एक मजबूत प्रत्याशी नीलम मधु को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा और बी.आर.एस. ने क्रमशः रेड्डी और वेलामा जातियों के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। विदित ही है कि भाजपा ने यहां से पी. वैंकटरामा रेड्डी और बी.आर.एस. ने एम. रघुनंदन राव को टिकट दिया है।

कांग्रेस ने वर्ष 1996 में मेडक से चुनाव जीता था। मेडक के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है क्योंकि यह बी.आर.एस. प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री के.सी.आर. का गृह जिला है। हाल ही सम्पन्न चुनावों में भी वह बी.आर.एस. का गढ़ बना रहा। बी.आर.एस. हालांकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में हार गई थी, लेकिन सात विधानसभा सीटों वाले मेडक में उसका दबदबा कायम रहा। वह यहां की सात में से छह विधानसभा सीटों पर विजयी रही थी।

संयोगवश, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी मधु भी अन्य नेताओं की भांति बी.आर.एस. से ही कांग्रेस में आयी हैं।

कुल मिलाकर आज की जमीनी स्थिति कांग्रेस के लिए मजबूत प्रतीत होती है और त्रिकोणीय माने जा रहे मुकाबले में बी.आर.एस. और भाजपा, दोनों ही दौड़ से बाहर होते दिख रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरजेवाला की हेमामालिनी पर टिप्पणी को ''शर्मनाक'' बताया

सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए, प्रत्यारोप किया कि, भाजपा ने कम्प्यूटर से ''डॉक्टर'' करके वीडियो पेश किया है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रेल। अभिनय की दुनिया से राजनीति में आई हेमा मालिनी पर टिप्पणी के लिए भाजपा के निशाने पर आए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने सत्तारुढ़ भाजपा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि, भाजपा की आई.टी. सैल को तथ्यों को तोड़- मरोड़कर झूठ फैलाने की आदत पड़ चुकी है।

सारे प्रकरण की शुरुआत अमित मालवीय द्वारा एक वीडियो शेयर करने से हुई जिसमें सुरजेवाला कि सभा को सम्बोधित करते दिख रहे हैं। उस समय उन्होंने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी पर टिप्पणी की थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में मालवीय ने कहा कि, ''यह बहुत घ्रणित बात है जो कोई व्यक्ति कर सकता है। यह है राहुल गांधी की कांग्रेस जो महिला विरोधी है और महिलाओं को अपमानित करती है।''

- सुरजेवाला ने इसी संदर्भ में आगे कहा कि, ''हम हेमामालिनी की इज़्ज़त करते हैं, उनकी शादी धर्मेन्द्र जी से हुई है, वे हमारी बहू हैं।

मालवीय ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रानाउत के खिलाफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाते द्वारा की गई पोस्ट का भी जिक्र किया। श्रीनाते हालांकि, कह चुकी हैं कि यह पोस्ट उनकी जानकारी के बिना की गई थी।

सुरजेवाला ने आज उसी सभा का विडियो शेयर किया, जिसमें वे ये कहते दिख रहे हैं हम हेमा मालिनी का सम्मान करते है क्योंकि उन्होंने धर्मेन्द्र जी से शादी की है वो हमारी बहू हैं।

उन्होंने भाजपा पर तथ्यों को विकृत करने का आरोप लगाया और कहा कि सत्तारुढ़ पार्टी का लक्ष्य है कि नरेन्द्र मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों वे संविधान को नष्ट करने की साजिशों से जनता का ध्यान भटकाना।

सुरजेवाला ने कहा कि, ''भाजपा के इन पिट्ठुओं ने प्रधानमंत्री से ये कभी नहीं कहा कि, उन्होंने '50 करोड़ की गर्ल फ्रैंड' क्यों बोला, एक महिला सांसद को 'सूर्पनखा' क्यों कहा, एक महिला मुख्यमंत्री को ट्रोल क्यों किया, कांग्रेस नेतृत्व को 'कांग्रेस की विधवा', 'जर्सी गाय' जैसे शब्दों से बुलाया।''

सुरजेवाला ने कहा कि, उनका मतलब यही था कि हर निर्वाचित जन प्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व मंत्री भाया से जुड़े मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब

जयपुर, 4 अप्रैल (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मांगरोल थाने में दर्ज मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 30 अप्रैल को तलब की है। अदालत ने पुलिस को अनुसंधान जारी रखने के आदेश देते हुए कहा है कि, जांच अधिकारी याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों को भी जांच में शामिल करें। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रमोद जैन भाया की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि, पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ दर्ज मामले में 30 अप्रैल तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाए, साथ ही अदालत ने जांच जारी रखने के आदेश भी दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ने प.बंगाल में लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज़ किया

कूचबिहार, 04 अप्रेल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का बिगुल बजाते हुए राज्य में अपनी पहली चुनावी रैली में लोगों को यह आश्वासन दिया कि अपराधियों, खासकर संदेशखाली के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी मतदाताओं से बिना किसी डर के एक नेता के रूप में वोट करने की अपील की।

मोदी ने उत्तर बंगाल की कूचबिहार और अलीपुरदुआर लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों, नीतीश प्रमाणिक और मनोज तिग्गा के समर्थन में राश मेला मैदान में आयोजित विशाल ''विजय संकल्प दिवस'' को संबोधित करते हुए कहा कि, यह केवल भाजपा ही है, जो बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोक सकती है।

उन्होंने कहा कि, पूरे देश ने देखा है कि, कैसे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सीमावर्ती उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की, जबकि भाजपा ने आरोपियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।

- प्र.मंत्री ने बिहार और अलीपुर दुआर सीट के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा की
- प्रधानमंत्री ने जनता से वादा किया कि, संदेशखाली के अपराधियों को सजा दिलाना हमारा संकल्प है।

मोदी ने लोगों से अपील की कि वे 19 अप्रैल को सुबह एक नेता की तरह मतदान करें क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया है।

मोदी ने कहा, यहां की तृणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देती... मेडिकल कॉलेज स्थापित करना भाजपा की पहचान है। हम देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल सरकार ने हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड राशि देने के बावजूद, तृणमूल के कारण कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं।

प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र ने बंगाल सरकार को अधिकतम धनराशि दी थी, लेकिन एक मंत्री के घर में करोड़ों रुपये पाये जाने के कारण पैसे वापस ले लिए गये।

उन्होंने अपने 30 मिनट के संबोधन की शुरुआत में कहा, सबसे पहले मैं ममता दीदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वर्ष 2019 में मैं इसी मैदान में एक रैली को संबोधित करने आया था। उस समय उन्होंने इस मैदान को आकार में छोटा करने के लिए इसके बीच में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। उस समय मैंने कहा था कि जनता इसका जवाब देगी।

आज उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और मुझे आप सभी से मिलने का अवसर मिला। मैं आज कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए बंगाल सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

सोनिया ने राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथ ली

नयी दिल्ली, 04 अप्रेल। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गुरुवार को नये संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान से उच्च सदन से निर्विरोध निर्वाचित गांधी को शपथ दिलायी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी को नयी पारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

खड़गे ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को मेरी शुभकामनाएं। वे आज राज्यसभा में शपथ लेकर अपनी नयी पारी शुरू कर रही हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और उथल-पुथल के बावजूद उनका साहसी लचीलापन और गरिमामय अनुग्रह हमारी संसदीय रणनीति का मार्गदर्शन करता रहेगा। उन्होंने लोकसभा में सेवा करते हुए 25 साल पूरे कर लिए हैं, और अब मैं और मेरे साथी सदस्य उच्च सदन में उनकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। उनके आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।

'सैनिक स्कूलों के प्रबंधन में प्राइवेट पार्टियों को जोड़ना अनुचित'

विपक्षी दलों ने केन्द्रीय सरकार की नयी नीति को ''भगवाकरण'' का प्रयास बताया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। विपक्षी नेताओं ने, केन्द्र सरकार से सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थानों की भागीदारी को आसान बनाने वाली नई नीति को वापस लेने की मांग की है, यह कहते हुए कि, इस कदम से सैनिक स्कूलों का सांप्रदायीकरण और देश के सैन्य संस्थानों के उच्च धर्मनिरपेक्ष मानकों का विनाश हो जाएगा।

''रिपोर्टस कलैक्टिव'' द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने सैन्य स्कूलों के संचालन में निजी संस्थानों की भागीदारी का रास्ता आसान बना दिया है। रिपोर्ट ने कहा कि, रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) से जुड़े लोग, भाजपा नेता और अन्य हिन्दुत्व समूह जैसे कि साध्वी ऋतम्भरा आदि को 60 प्रतिशत नये सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए चुना है।

- सी.पी.एम.का आरोप है, सैनिक स्कूल का मैनेजमैंट ''ऑटोनोमस'' सैनिक स्कूल सोसायटी के हाथ में ही होता था।
- पर, अब नयी परिवर्तित नीति में संघ परिवार से जुड़ी संस्थाओं को इन सैनिक स्कूलों में कामकाज की जिम्मेवारी में महत्वपूर्ण भूमिका दी जायेगी।
- सी.पी.एम. के अनुसार, अब तक 40 सैनिक स्कूलों में यह नई व्यवस्था लागू कर दी गयी है तथा इनमें से 62 प्रतिशत को चलाने की जिम्मेवारी आर.एस.एस., भाजपा व अन्य हिन्दुत्ववादी संगठनों को सौंपी गयी है।
- विपक्ष ने आशंका जताई है कि, इस नयी व्यवस्था से हमारी सेनाओं का धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व प्रभावित होगा।

सैनिक स्कूल के इतिहास में पहली बार, केन्द्र के निजी संस्थानों को सैनिक स्कूलों से संबद्ध होने की अनुमति दी गई है जिससे निजी संस्थान, सैनिक स्कूलों से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे और उनकी शाखाओं का संचालन करेंगे।

रिपोर्ट के परिणामों ने उजागर किया है कि, नई नीति के तहत जिन 40 सैनिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों ने दो करोड़ रू. की रिश्वत दी

नयी दिल्ली, 04 अप्रेल। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चुनाव में फंडिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि, इस मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच जारी है। ईडी ने जांच के तहत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल, तजेंद्र सिंह, एन.के.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एन.बी.सी.सी. के उस समय के फरीदाबाद ज़ोन के जनरल मैनेजर का नाम शामिल है। साथ ही ईडी ने आरोपियों की कुल 8.80 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी अटैच गया है। शराब नीति घोटाले में भी पैसा आप के पार्टी फंड में जाने की बात एजेन्सी ने कही है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में 8 हजार पेज के दस्तावेज को दाखिल किया है।

'मुख्यमंत्री रहें या नहीं, यह केजरीवाल का निजी फैसला'

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की दूसरी याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की

नयी दिल्ली, 04 अप्रेल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली दूसरी जनहित याचिका भी गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर यह कहते हुए विचार करने से इन्कार कर दिया कि यह उपराज्यपाल या राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है।

- हाईकोर्ट ने कहा कि, यह उपराज्यपाल या राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है।

न्यायालय ने हालांकि टिप्पणी की कि यह मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पद पर रहना चाहिए या नहीं। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, कभी-कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन होना पड़ता है, लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) व्यक्तिगत फैसला है।

पीठ ने कहा, वह सिर्फ इतना कह सकती है कि, इस मुद्दे पर वह फैसला नहीं कर सकती और इस मामले में फैसला लेना दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। न्यायालय ने आगे कहा, हम यह कैसे घोषित कर सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? उपराज्यपाल इस पर निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्हें (उपराज्यपाल) हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। उन्हें जो भी करना होगा वह कानून के अनुसार करेंगे। अदालत के इस रुख पर याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की गुहार लगाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अब उपराज्यपाल के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। इससे पहले 28 मार्च को उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने अपने को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले दिल्ली निवासी सुजीत सिंह यादव की याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी थी कि इस मुद्दे की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का काम है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।